

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
कमाँक स03-9(2)स्था/मंत्रा/अभि/2018/ 1635-44 दिनाँक 6/2/19

आदेश :-

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में गैर अनुसूचित क्षेत्र के कनिष्ठ सहायक को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति के कार्यवाही विवरण दिनाँक 20.06.2018 के पुनर्विलोकन करने हेतु दिनाँक 05.02.2019 को आयोजित रिब्यु विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक को वरिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के वेतन बैण्ड (1) 5200-20200 तथा ग्रेड पे न.(10) 2800/राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 में मेट्रिक्स लेवल -08 में पदोन्नत किया जाता है। पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नत पद पर उपस्थिति की दिनांक से देय होंगे।

क्र. सं.	वरिष्ठता क्रमांक	नाम कार्मिक	वर्ग	रिक्ति की दिनाँक	वर्तमान पदस्थापन	विशेष विवरण
1.	38	श्री शैलेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री सरदार सिंह	सानान्य	01.04.17	सनिअ धौलपुर	इनकी वरिष्ठता वरिष्ठ सहायक के पद पर श्री अमनदीप विश्‍नोई से उपर से उपर एवं श्री लोकेश शर्मा से नीचे रहेगी।
2.	56	श्री रविन्द्र सिंह पुत्र नाथूसिंह	सामान्य	01.04.17	सनिअ बांरा	इनकी वरिष्ठता वरिष्ठ सहायक के पद पर श्री रमेश चन्द चौधरी से उपर एवं श्री गौरीशंकर से नीचे रहेगी।


उक्त कार्मिको के पदस्थापन वर्तमान कार्यालय में वरिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर किया जाता है।

श्री हुकम सिंह पुत्र स्व0 श्री दौलतराम के दिनांक 31.05.2002 के पश्चात 03 सन्तान होने के कारण श्री सिंह वर्ष 2017-18 में प्रथम बार पदोन्नति योग्य नही होने के फलस्वरूप उक्त रिब्यु विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के वेतन बैण्ड (1) 5200-20200 तथा ग्रेड पे न.(10) 2800/राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 में मेट्रिक्स लेवल -08 में इनकी वरिष्ठ सहायक के पद पर दी गई पदोन्नति निरस्त की जाती है। इनकी वरिष्ठता कनिष्ठ सहायक के पद पर पूर्वानुसार रहेगी।

-54-
(रमेश कुमार शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिगपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.), कोटा, भरतपुर, जोधपुर सहित।
2. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.), धौलपुर, बांरा एवं जोधपुर सहित।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक अभियोजन।
4. प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन निदेशालय।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. निजी पत्रावली/समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय।
7. रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर


राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
कमाँक स03-6(1)स्था/मंत्रा/अभि/2016/ 1645-55

दिनाँक 6/2/19

आदेश


राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में गैर अनुपूषित क्षेत्र के कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड-द्वितीय) को वरिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड-प्रथम) के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण दिनाँक 31.3.2016 में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नही करने वाले कार्मिको के द्वारा टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप दिनाँक 05.02.2019 को पुनर्विलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

श्रीमती मधुबाला छाबडा पुत्री स्व0 श्री सरवन कुमार कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड-द्वितीय) को जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा दिनाँक 27.10.2017 को आयोजित टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये जाने के फलस्वरूप समिति ने श्रीमती मधुबाला छाबडा कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड द्वितीय) को वरिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड-प्रथम) के पद पर वर्ष 2015-16 में दिनाँक 01.04.2015 को उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के वेतन बैण्ड (1) 5200-20200 तथा ग्रेड पे न.(10) 2800/-में पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री मुकेश नीलमणी से नीचे एवं श्री पुरुषोत्तम जोशी से उपर रहेगी। पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नत पद पर उपस्थिति की दिनाँक से देय होंगे। श्रीमती मधुबाला छाबडा का पदस्थापन कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन-श्रीगंगानगर में वरिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर किया जाता है।


(रमेश कुमार शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.)/बीकानेर।
2. सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.)/ श्रीगंगानगर
3. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन।
4. प्रशासनिक अधिकारी/ अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन निदेशालय जयपुर।
5. निजी पत्रावली/रुमस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय।
6. रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर